फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दिवेर

– प्रार्थी

बनाम

श्री गोविन्द सिंह रावत पिता श्री दूद सिंह रावत निवासी 1. ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास राजसमन्द (राज.) 2. प्लाट नं0 98 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास राजसमन्द (राज.)

–ऋणी / बन्धककर्ता

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन

पत्रावली संख्या 21 / 2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 19.08.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने दिनांकः 13.06.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दिवेर, राजसमंद से श्री गोविन्द सिंह रावत पिता श्री दूद सिंह रावत निवासी 1. ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास राजसमन्द (राज.) 2. प्लाट नं0 98 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास राजसमन्द राजस्थान को राशि रूपये 3,80,000/– का ऋण/सुविधा स्वीकृत की थी उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि रूपये 4,37,270/– दिनांक 02.12.2018 तक वसूल करना हैं। यह कि ऋणी/जमानतदार ने अचल सम्पत्ति :– भूमि भवन जो प्लाट नं0 98 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास राजसमन्द राजस्थान में स्थित है जो कि श्री गोविन्द सिंह रावत पिता श्री दूद सिंह रावत के नाम से है। सम्पति पर प्रतिभूति हित सृजित किया हैं और बैंक का उक्त सम्पति पर विधिमान्य प्रतिभूति हित हैं बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 में की जा रही वसूली कार्यवाही परिसीमा अवधी के भीतर हैं। ऋणी/जमानतदार ने बैंक द्वारा दी गयी ऋण/सुविधा के पुर्नभगतान में व्यक्तिक्रम किया हैं।ऋणी/जमानतदार द्वारा वित्तिय सहायता के प्रतिसंदाय में व्यक्तिक्रम के परिणाम स्वरूप उधार लेने वाले के खाते को अपालन आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं। बैंक ने ऋणी/जमानतदार को उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अर्न्तगत मांग नोटिस की तामील सम्यक रूप से कर दी गयी है। ऋणी/जमानतदार को उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिये मांग नोटिस में दी गई अवधि में बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान नही किया हैं और प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधो के अधीन प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। बैंक द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन किया गया हैं। उपरोक्त प्रकरण में सक्षम न्यायालय/अधिकरण में कोई वाद या स्थगन आदेश नही हैं।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 06.12.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं पोस्ट आफिस की डीलेवर रिपोर्ट

प्रस्तुत की गयी जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दिवेर, राजसमंद से श्री गोविन्द सिंह रावत पिता श्री दूद सिंह रावत निवासी 1. ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास राजसमन्द (राज.) 2. प्लाट नं0 98 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास राजसमन्द राजस्थान को राशि रूपये 3,80,000/– का ऋण/सुविधा स्वीकृत की थी उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि रूपये 4,37,270/– दिनांक 02.12.2018 तक वसूल करना हैं। ऋणी/जमानतदार ने अचल सम्पत्ति :– भूमि भवन जो प्लाट नं0 98 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास राजसमन्द राजस्थान में स्थित है जो कि श्री गोविन्द सिंह रावत पिता श्री दूद सिंह रावत के नाम से है। सम्पति पर प्रतिभूति हित सृजित किया हैं

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दिवेर, राजसमंद के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दिवेर, राजसमंद को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)